

भारतीय संदर्भ में मानवाधिकार एवं महिलाएं

Human Rights and Women With Reference To India

Paper Submission: 15/11/2020, Date of Acceptance: 25/11/2020, Date of Publication: 26/11/2020

सारांश

प्राचीनकाल से भारत में नारी का स्थान सर्वोत्तम रहा है। फिर भी इस पृष्ठतात्मक समाज में उसे हीन दृष्टि से देखा जाता है। भारत में आज भी बेटियों की अपेक्षा बेटों को ज्यादा महत्व दिया जाता है। आज भी महिलायें अपने मानवाधिकारों से वंचित हैं। सभी मानव स्वतंत्र पैदा हुये हैं और गरिमा एवं अधिकारों में समान हैं फिर भी महिलाओं के विरुद्ध अत्यधिक भेदभाव होता रहा है। महिलाओं के प्रति हिंसा विश्वव्यापी घटना बनी हुयी है। जिससे कोई भी समाज और समुदाय अछूता नहीं है। महिला विरोधी हिंसा के लिये समाज और राज्य दोनों को ही अपना नैतिक व वैधानिक उत्तरदायित्व निभाना होगा। भारत जैसे विकासशील देश में मानवाधिकार एक ऐसा मुद्दा है जिस हेतु दीर्घकालीन नीति तथा सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों के सहयोग की आवश्यकता है। साथ ही मीडिया भी मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता लाने की दिशा में प्रभाव पूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकता है।

Women have been the best place in India since ancient times. Yet in this patriarchal society, he is seen with inferiority complex. Even today in India, sons are given more importance than daughters. Even today women are deprived of their human rights. All human beings are born free and equal in dignity and rights, yet there has been extreme discrimination against women. Violence against women has become a worldwide phenomenon. Due to which no society and community is untouched. Both the society and the state will have to fulfill their moral and legal responsibility for the anti-women violence. In a developing country like India, human rights is an issue that requires long-term policy and cooperation of government and non-governmental organizations. At the same time, the media can also play an influential role towards bringing awareness to human rights.



सुनीता पाण्डेय

सहआचार्य,
अर्थशास्त्र विभाग,
श्री कल्याण राजकीय कन्या
महाविद्यालय,
सीकर, राजस्थान, भारत

मुख्य शब्द : मानवाधिकार, मनोवैज्ञानिक, संवैधानिक, अधिनियम, बहिष्कार, तिरस्कार, उपेक्षात्मक, आत्मविश्वास, अत्याचार, भयावह, सशक्तिकरण, घरेलू हिंसा, विभत्स, प्रशासनिक, जागरूक।
Human Rights, Psychological, Constitutional, Law, Boycott, Disdain, Dirregared, Confidance, Toture, Frightening, Empowerment, Domestic Voilence, Loathsome, Administrative, Aware

प्रस्तावना

मानव गरिमा व स्वतंत्रता के साथ जीवन जीने का अधिकार हर व्यक्ति के लिए एक ईश्वरीय देन है। मनुष्य के इसी बोध के कारण 1948 में संयुक्त राष्ट्र ने U.D.H.R. को पारित किया। बाद में कई और प्रस्ताव पारित किये गये जिनके द्वारा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकारों व मानव गरिमा को सुरक्षित करने का प्रयोजन किया गया। विभिन्न संयुक्त राष्ट्र देशों समेत भारत भी इन प्रस्तावों की परिपालना हेतु कटिबद्ध हैं।

10 दिसम्बर को प्रतिवर्ष विश्व में मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। मानवाधिकार, मानव जीवन के लिए अपरिहार्य आवश्यकता हैं। प्रत्येक मानव को सम्मानपूर्वक जीवन जीने के साथ-साथ उसकी भोजन, वस्त्र व आवास की बुनियादी आवश्यकता पूर्ण होना भी मूलभूत अधिकारों में मुख्य हैं। मानवीय समाज में सभी सदस्यों की अन्तःनिहित गरिमा और सम्मान अभेद्य अधिकार विश्व में स्वतंत्रता, न्याय और शांति के आधार है। किसी भी मनुष्य को अत्याचार और उत्पीडन के विरुद्ध अंतिम अस्त्र के रूप में विद्रोह का अवलम्बन लेने के लिए

विवश नहीं किया जाता हैं, तो यह आवश्यक हैं कि उसके अधिकारों का संरक्षण विधिसम्मत शासन द्वारा किया जाये।

मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अधिकार का प्रादुर्भाव मन के भाव में होता है। सॉमंड का मानना हैं कि, "अधिकारों का सम्बन्ध हितों से होता हैं और इनको वास्तव में औचित्य के नियमों से संरक्षित कहा जा सकता हैं अर्थात् वह नैतिक और विधिक नियमों से संरक्षित होता हैं।"

अध्ययन का उद्देश्य

1. मानवाधिकारों का अर्थ स्पष्ट करना।
2. मानवाधिकारों की रक्षा हेतु जागरूकता उत्पन्न करना।
3. मानवाधिकारों की रक्षा हेतु वैधानिक प्रावधानों को स्पष्ट करना।
4. मानवाधिकारों की परिकल्पना को स्पष्ट करना।
5. मानवाधिकारों के सन्दर्भ में पुरुष व महिलाओं में असमानता की स्थिति स्पष्ट करना।

साहित्यावलोकन :

1. "हयूमन राइट्स ऑफ विमिन" पोईन्टर पब्लिशर्स जयपुर 2006, पद्मा अय्यर :- उक्त पुस्तक महिला एवं मानवाधिकारों के सैद्धान्तिक स्वरूप को स्पष्ट करती है। यह पुस्तक महिला मानवाधिकार हनन एवं महिला हिंसा से जुड़े मुद्दों पर प्रकाश डालती है तथा समस्त मानवाधिकार कार्यक्रमों को लैंगिक दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करती है।
2. महिला और मानवाधिकार एम.ए.अंसारी :- इस पुस्तक में लेखक ने महिलाओं को प्रदत्त अधिकारों को स्पष्ट किया है एवं उनकी सत्यता का परीक्षण किया है।
3. भारतीय ग्राम - प्रो. दुबे (अनु. योगेश अटल, 2000) वाणी प्रकाशन, 21ए, दरिया गंज, नई दिल्ली।
प्रस्तुत पुस्तक में भारतीय ग्राम में आये हुये परिवर्तनों की चर्चा की गई है। साथ ही महिलाओं की स्थिति में आये हुये परिवर्तनों की चर्चा भी इसमें शामिल है।
4. महिलाओं के प्रति अत्याचार एवं मानवाधिकार (2006) सुधा अवस्थी :-
प्रस्तुत पुस्तक में लेखिका ने महिला के वैधव्य जीवन की त्रासदी का बहुत ही मार्मिक ढंग से चित्रण किया है। आधुनिक युग में आज भी महिलाओं को वह स्थान नहीं मिल पा रहा है जिसकी वह हकदार है। लेखिका ने इस पुस्तक के माध्यम से कहा है कि महिलाओं के अपमान के बदले उसका सम्मान जरूरी है।
5. पियरी का सपना, मैत्रेयी पुष्पा, सामयिक प्रकाशन जनवरी 2010, इस पुस्तक में लेखिका ने सामाजिक बुराइयों का अवलोकन किया है।
6. तहखानों में बंद अक्स, कल्याणी शिक्षा परिषद 2010, चित्रा मुदुला :- इस पुस्तक में लेखिका युवतियों को भयमुक्त करते हुये सहज जीवन की राह दिखाती है
7. मानवाधिकार और महिलाएं मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल 462003, डॉ. ममता चन्द्रशेखर

लेखिका ने इस पुस्तक में मानवाधिकार सम्बन्धी विशेष जानकारी 7 अध्यायों के माध्यम से प्रदान की है।

प्राकल्पनायें

1. महिला एवं पुरुषों के मध्य असमानता का व्यवहार विद्यमान है।
2. 1980 के दशक के पश्चात् महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन दृष्टिगत हुये हैं।
3. महिलाओं के मानवाधिकारों की रक्षा हेतु संवैधानिक एवं विधिक प्रावधान उपलब्ध है।
4. महिलाओं में अपनी सम्पूर्ण स्थिति के लिये जागरूकता बढ़ी है।
5. भारत में महिलाओं के मानवाधिकार सुरक्षित है।
6. सरकारी एवं गैर सरकारी स्तर पर मानवाधिकारों की रक्षा हेतु किये जा रहे प्रयत्न सार्थक एवं पर्याप्त है।

अध्ययन की प्रविधि

प्रस्तुत अध्ययन हेतु अध्ययन प्रविधि के रूप में पूर्व में उपलब्ध साहित्य के विश्लेषण एवं द्वितीयक समकों का प्रयोग किया गया है।

विषय वस्तु

प्रस्तुत शोध पत्र में अध्ययन द्वारा यह जानने का प्रयास किया गया है कि क्या भारत में महिलाओं के मानवाधिकार सुरक्षित है? देश में सरकारी एवं गैर सरकारी स्तर पर महिलाओं के मानवाधिकारों की सुरक्षा हेतु किये जा रहे प्रयास सार्थक एवं पर्याप्त है या उन्हें अधिक विस्तृत रूप में अपनाने की जरूरत है।

मानवीय समाज की संरचना दो विपरीतलिंगी वर्गों महिला-पुरुष से मिलकर हुई है। शारीरिक लिंगभेद के अतिरिक्त दोनों वर्ग समरूप है, दोनों की आधारभूत शारीरिक एवं मानसिक आवश्यकतायें समरूप हैं। महिला एवं पुरुष के मध्य सम्बन्धों को व्यवस्थित, सुसंगठित एवं नियंत्रित करने की व्यवस्था समाज में निहित विभिन्न सामाजिक संस्थाओं द्वारा की जाती रही हैं।

महिला समाज का आधा हिस्सा हैं। महिलाओं के बिना घर-परिवार, समाज या देश की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। पारिवारिक दायित्वों के निर्वहन के साथ-साथ धार्मिक कार्यों को सम्पादित करने जैसे कार्यों को पूर्ण करना महिलाओं के बिना सम्भव नहीं है। महिला परिवार व समाज की धुरी है। प्रारम्भ में महिला व पुरुष के कार्यों में कोई भेद नहीं था। ज्यों-ज्यों मानव विकास की ओर बढ़ता गया उसके कार्यों में विभाजन होता गया। इन कार्यों में विशिष्टीकरण आया तथा महिला एवं पुरुष में श्रम विभाजन हुआ। अतीत से ही महिला का समाज में सर्वोपरि स्थान रहा है उसे सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता रहा है। "यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता" हमारा आदर्श रहा है। यह स्थिति वर्षों तक चलती रही परन्तु बीच में कुछ ऐसा समय आया जब मनुष्य ने महिला को केवल भोग विलास की वस्तु मान लिया। महिला पर अनेक अत्याचार किये जाने लगे। वह शोषण और यातना की शिकार होने लगी। धीरे-धीरे महिलाओं से उनके अधिकार छीनते चले गये।

21वीं सदी में कदम रखने वाले भारतीय समाज में महिला को आज भी वह दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है जो उसे अपेक्षित था। भारत के साथ-साथ पश्चिमी जगत में भी महिला की स्थिति निम्न तथा ठीक रही है। पाश्चात्य समाज में "नारी सर्वत्र पूज्यन्ते" जैसी मान्यता नहीं है। मानव सभ्यता के प्रारम्भ काल से महिला को "माता" के रूप में मान्यता प्राप्त है। महिला और पुरुष को एक-दूसरे का पूरक भी कहा जाता है परन्तु आज महिलायें पुरुषों की तुलना में निम्न श्रेणी का जीवन यापन कर रही हैं। महिलायें शान्तिपूर्वक सभी कुछ सहने के लिए अभिशप्त हैं एवं सहनशीलता की मूर्ति कहलाती हैं।

महिलाओं के अधिकारों की स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन तब आया जब संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार आयोग ने 'मानवीय अधिकारों का घोषणा-पत्र' स्वीकार किया। इस पत्र की स्वीकृति के पश्चात् संसार भर की महिलाओं में नई आशा का संचार हुआ और वे अपनी भेदभावहीन वैधानिक स्थिति को सामाजिक स्थिति में बदलने के लिए कटिबद्ध हो गईं।

भारतीय समाज में वैदिक काल में स्त्री व पुरुष को समानता का दर्जा दिया जाता था। पुरुषों के समान महिलाये वेदाध्ययन करती थी एवं यज्ञ व हवन में भाग लेती थी। महिलाओं ने राजनीति में भी अपनी सक्रिय भूमिका का प्रदर्शन किया। धार्मिक प्रचार-प्रसार में भी महिलाओं की सक्रिय भागीदारी रही है।

वैदिक काल से लेकर मुगलकाल के पूर्व तक महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार प्राप्त थे। वैदिक काल में महिला को पृथ्वी पर दैवीय गुणों का प्रतीक माना जाता था। इस कारण उन्हें समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। वे न तो नौकरी करती थी, न ही पारिश्रमिक प्राप्त करती थी क्योंकि उन्हें ऐसा करने की आवश्यकता ही नहीं थी। तात्कालीन राजनीतिक व्यवस्थाओं में चुनी हुई सरकारें नहीं होती थी, अतः स्त्रियों को मताधिकार भी प्राप्त नहीं था। सभाओं में जुआ, शराब आदि गतिविधियाँ चलने के कारण स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति नहीं थी। कौटिल्य एवं शुक्र ने क्रमशः अर्थशास्त्र एवं शुक्रनीतिसार में स्त्रियों के अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं का समर्थन किया है।

पौराणिक, ब्राह्मण एवं मध्यकाल में अनेक प्रतिबन्धों के कारण स्त्रियों की स्थिति निम्न हो गई। पर्दा प्रथा, विधवा, पुनर्विवाह, निषिद्ध, पति को देवता का दर्जा देना, सती प्रथा आदि का प्रचलन बढ़ गया। विदेशी आक्रान्ताओं के भारत में प्रवेश के पश्चात् महिलाओं के सम्मान व भूमिका का और अधिक ह्रास हुआ। शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार छीन गया। जाति प्रथा के कठोर बन्धन थोप दिए गए। उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य से महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन आरम्भ हुआ जिससे उनके सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक व राजनीतिक अधिकारों की सुरक्षा की बहस शुरू हुई। महिलाओं से सम्बन्धित सामाजिक बुराईयों का अन्त करने हेतु कानून बनने लगे जैसे :- विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, विशेष विवाह अधिनियम 1872, शारदा एक्ट 1926 आदि। साथ ही राजाराम मोहनराय, महादेव गोविन्द रानाडे, दयानन्द सरस्वती, महात्मा गाँधी जैसे जागरूक नेताओं ने इस

दिशा में सराहनीय प्रयास प्रारम्भ किए। महिलाओं के बहुमुखी विकास से सम्बन्धित अनेकों सामाजिक संगठनों की स्थापना हुई जैसे - भारत महिला परिषद् 1904, नेशनल काउंसिल फॉर वीमेन इन इण्डिया 1925 आदि।

बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में भारत में महिलाओं द्वारा स्वाधीनता संग्राम में व्यापक एवं अभूतपूर्व उत्तरदायित्व का निर्वहन किया गया। इस दृष्टि से झांसी की रानी लक्ष्मी बाई, बेगम हजरत महल, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेन्ट, अरूणा आसफ अली, सुचित्रा कृपलानी, मातंगनी हाजरा एवं इंदिरा गांधी आदि के नाम प्रमुख रूप से लिए जा सकते हैं।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत के सम्मुख उपस्थित चुनौतियों व समस्याओं में भारतीय समाज में महिलाओं को उचित व सम्मानजनक स्थान दिलाना भी संविधान निर्माताओं के सम्मुख एक प्रमुख चुनौती थी क्योंकि भारतीय समाज में महिलाओं से सम्बन्धित अनेक समस्याएँ जैसे बालिकाओं व महिलाओं के प्रति भेदभाव, भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, हर क्षेत्र में भेदभाव व समान अवसर का अभाव, मानवाधिकार व मौलिक स्वतंत्रताओं से वंचित होना, पराश्रित होना, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, डायन प्रथा, बाल-विवाह, विधवाओं की दयनीय स्थिति, बच्चों के पालन-पोषण का दायित्व केवल माँ पर होना, राष्ट्रीय व क्षेत्रिय स्तर पर भी किसी भी कार्यक्रम में महिलाओं का प्रतिनिधित्व नगण्य होना, अशिक्षा, रोजगार के चयन में स्वतंत्रता न होना, समान कार्य लेकिन असमान पारिश्रमिक होना, रोजगार के क्षेत्र में भेदभाव होना, महिला स्वास्थ्य के प्रति समाज का उपेक्षात्मक दृष्टिकोण, प्रसवकाल के दौरान मृत्यु, कुपोषित महिलाओं की अत्यधिक संख्या थी। इसी प्रकार आर्थिक व सामाजिक क्षेत्रों में अवसरों की कमी, परिवार में आर्थिक भूमिका की अस्वीकृति तथा ग्राम विकास में महिलाओं की भागीदारी न के बराबर होना, लम्बी व पैचीदी कानूनी समानता के कारण व्यवहार में कानूनी समानता न होना आदि थी। जीवन का हर पक्ष शोषण व असमानता का शिकार था। सम्पत्ति का अधिकार नहीं था। विधवाओं की स्थिति शोचनीय थी।

महिलाओं को इस दयनीय स्थिति से निकालने के लिए संविधान निर्माताओं ने अनेक सांविधानिक व कानूनी प्रावधान किए। भेदभाव को रोकने के लिए संविधान के भाग तीन में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था तथा अनुच्छेद 14, 15, 15(3) प्रमुख हैं। यौन शोषण व अवैध व्यापार से सुरक्षा के लिए अनुच्छेद 3 में व्यवस्था दी गई है। राजनीतिक समानता हेतु अनुच्छेद 325 व 326 की व्यवस्था की गई है। संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 तक पुरुषों के समान राष्ट्रीयता का अधिकार दिया गया है। स्त्री शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए संविधान के भाग-4 के अनुच्छेद 45 में व्यवस्था की गई है। महिला रोजगार को सुनिश्चित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 16, 23, 39(घ) (च), 41, 4 में व्यवस्था की गई है। महिलाओं के उत्तम स्वास्थ्य के लिए अनुच्छेद 46 में भारत सरकार को निर्देशित किया गया है।

इन सांविधानिक प्रावधानों को मूर्त रूप देने के लिए भारत सरकार ने समय समय पर अनेक अधिनियम पारित किए हैं तथा नीतियों का निर्माण किया है। साथ ही

सर्वोच्च न्यायालय ने भी महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए अनेक ऐतिहासिक फैसले दिए हैं। जैसे—माँ का बच्चे पर अधिकार सम्बन्धी फैसला—1999, विधवा पुत्री गुजारा भत्ता—2002, बलात्कार बीमा फैसला 1999, पीड़िता की गवाही सम्बन्धी फैसला, नसबन्दी के बाद माँ बनने पर महिला क्षतिपूर्ति सम्बन्धी फैसला—2000, तलाक से सम्बन्धित निर्णय—2000, मुस्लिम महिलाओं को निर्वाह भत्ता फैसला आदि प्रमुख हैं।

मानवाधिकारों की रक्षा हेतु कानूनी प्रावधान

भारत सरकार द्वारा पारित अधिनियमों में प्रमुख रूप से सती प्रथा निषेध अधिनियम 1987, वैश्यावृत्ति निवारण अधिनियम 1986, स्त्री अशिष्ट निरूपण निषेध अधिनियम 1986, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, फ़ैक्ट्री एक्ट संशोधन अधिनियम 2003, विवाह विच्छेद अधिनियम 1955, भरण—पोषण अधिनियम 1956, दहेज विरोधी अधिनियम 1961, प्रसव पूर्व परीक्षण तकनीक (दुरुपयोग का विनियमन एवं प्रतिशोध) अधिनियम 1994 आदि हैं तथा प्रमुख नीतियाँ व आयोग जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग 1960, 26 सितम्बर 1996 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी निर्देश, जिसमें विद्यालय व विश्वविद्यालय स्तर पर रिकॉर्ड में माता का नाम दर्ज करवाना, 84 व 85वां महिला आरक्षण अधिनियम (लोक सभा व विधान सभा में 33 प्रतिषत आरक्षण देने हेतु), किषोरी बालिका योजना 1992, महिला समाख्या योजना 1989, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना, महिला अध्ययन केन्द्र व सेल, कस्तूरबा गाँधी योजना 1997, भाग्य श्री बाल कल्याण पॉलिसी, वीमेन्स इंटीग्रेटेड लर्निंग फॉर लाईफ स्कीम, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम 1992, स्वास्थ्य सरणी योजना 1997, राज—राजेश्वरी बीमा योजना 1997, राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना, राष्ट्रीय महिला कोष 1993, मार्जिन मनी ऋण योजना 1995, महिला विकास निगम की ऋण संवर्धन योजना, स्वशक्ति परियोजना 1998, महिला उद्यमियों के लिए ऋण योजना 2001, महिला समृद्धि योजना 1993 आदि हैं।

महिलाओं को पुरुषों के समान वैधानिक अधिकार तो प्राप्त हैं परन्तु सामाजिक दायरे में उनका भलीभांति क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। कुछ सुविधा सम्पन्न महिलाओं को छोड़कर आम महिला आज भी सामाजिक भेदभाव व अन्याय की शिकार हो रही हैं। प्रसिद्ध लेखिका महाश्वेता देवी का कहना है कि, “समाज के हर वर्ग के पुरुषों का महिलाओं पर दबाव है, जिसके लिए हमारी सामाजिक व्यवस्था जिम्मेदार हैं जो भी पुरुष इस व्यवस्था में पैदा होगा, औरतों का शोषण करेगा ही। मेरे विचार से जब तक समाज से वर्ग विभेद दूर नहीं होता तब तक महिला पुरुष का अन्तर भी रहेगा ही। आदिवासी समाज में प्रायः वर्ग भेद नहीं हैं। महिला पुरुष के बीच एक हद तक समानता की स्थिति है।”

इक्कीसवीं सदी में प्रगति करते भारत ने कई उपलब्धियाँ हासिल की हैं। सूचना क्रान्ति में कई मील के पत्थर स्थापित किये हैं लेकिन दूसरी ओर भारतीय समाज आज भी कई रूढ़िवादी मान्यताओं व अंधविश्वासों की

गिरफ्त में धंसा हुआ है। महिलाओं का दहेज के लिये उत्पीड़न तथा कन्या भ्रूण हत्याएं आज नये रूप में महिला अत्याचार व शोषण को जन्म दे रही हैं। इसके अतिरिक्त अनेक रूपों में शारीरिक व मानसिक रूप से महिलाओं का उत्पीड़न समाज में जारी है।

भारत देश में आदिवासी व ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी अंधविश्वास के कारण डायन के नाम पर महिलाओं को आये दिन प्रताड़ित किया जाता है। अशिक्षित व अज्ञानी ग्रामीण व आदिवासी मानते हैं कि गांव में किसी बीमारी या प्रकोप का मुख्य कारण डायन प्रभाव है। गांव की किसी विधवा, असहाय या वृद्धा को डायन घोषित कर उन पर अत्याचार किये जाते हैं। डायन घोषित की गई महिला का एक प्रकार से सामाजिक बहिष्कार व तिरस्कार किया जाता है। भरी सभा में उसे बेइज्जत करना, निर्वस्त्र कर मुंह पर कालिख पोतकर गांव में घुमाना, बाल काटना, मानव मल—मूत्र पिलाना, पीट—पीटकर मार डालना आदि विभत्स घटनाएं समाज में घटित हो ही हैं, जो हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में चारों तरफ महिला सशक्तिकरण के दावे किये जा रहे हैं। आज भारत में महिलायें अपनी योग्यता एवं आत्मविश्वास के कारण सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक क्षेत्र में तथा शिक्षा के आधार पर बड़ी संख्या में डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, जज, प्रशासनिक अधिकारी, वकील और वैज्ञानिक तक नजर आ रही हैं।

हर क्षेत्र में महिलायें पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। फिर भी अगर गहराई से देखा जाये तो आज भी बहुत सी महिलायें प्रतिदिन किसी न किसी प्रकार से शोषित व हिंसा का शिकार हो रही हैं। आये दिन महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनायें बढ़ती जा ही हैं। प्रतिदिन न जाने कितनी ही महिलायें दहेज की बलिबेदी पर चढ़ाई जा रही हैं। कितनी ही कन्यायें जन्म लेने से पूर्व कोख में ही मारी जा रही हैं। अनगिनत महिलायें शिक्षित होने के बावजूद भी घरेलू हिंसा का शिकार हो रही हैं।

मानवाधिकार एवं महिलाओं के सन्दर्भ में उपर्युक्त विश्लेषण के पश्चात् यह आवश्यकता महसूस होती है कि कदम—कदम पर महिलाओं के मानवाधिकारों की लैंगिक आधार पर अनदेखी की जा रही हैं। जन्म लेने के पूर्व से मृत्युपर्यन्त महिलाओं के मानवाधिकार सुरक्षित नहीं हैं। महिलाओं को अपने मानवाधिकारों की रक्षा करने के लिए अभी एक लम्बी लड़ाई स्वयं लड़नी है। उसे शिक्षित होकर समाज में अपने खिलाफ हो रहे अत्याचारों का मुकाबला स्वयं करना है। समाज में व्याप्त दहेज रूपी दानव को भगाने के लिए युवा पीढ़ी को तैयार करना होगा। हमारे समाज में महिला—पुरुष लिंगानुपात में लगातार हो रही कमी समाज की आने वाली भयावह स्थिति का आगाज करा रही है। इसी सन्दर्भ में महिलाओं को स्वयं आगे आकर कन्या भ्रूण हत्या का पूरजोर विरोध करना होगा।

ओस की बूंद सी होती हैं बेटियाँ,
स्पर्श खुरदरा हो तो रोती हैं बेटियाँ,
रोशन करेगा बेटा तो बस एक ही कुल को,

दो-दो कुलो की लाज को ढोती हैं बेटियां।

भारत में महिला हिंसा के भयानक स्वरूप के विरुद्ध संघर्ष करने हेतु जन जागृति पैदा करनी होगी।

हमें अपने मानवाधिकारों की रक्षा करने के लिए समाज में महिलाओं को और अधिक जागरूक बनाना है।

क्योंकि :-

निष्क्रिय बैठा रहे सदा जो, मंजिल उसको छोड़ चले
मंजिल बस उसको मिलती है, जो मंजिल की ओर चले।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. मुदुला सिन्हा : छीनना ही पड़ेगा हक, राजस्थान पत्रिका, 8-3-2009
2. तिस्ता सितलवाड : कितना आगे बढ़ी नारी (चेतना जरूरी) राज. पत्रिका 7-3-2009
3. स्त्री विमर्श (विविध पहलू) : डॉक्टर कल्पना वर्मा।
4. महिला और मानवाधिकार : एम.ए. अंसारी।
5. महिलाओं में अधिकारों के प्रति चेतना : सुरेन्द्र कुमार शर्मा।
6. महिला अधिकार और शिक्षा : डॉ. हरिदास रामजीशरण शेंडे 'सुदर्शन'।
7. भारतीय समाज में नारी : रमा शर्मा व एम.के. मिश्रा अर्जुन पब्लिशिंग दिल्ली 2010
8. लिंग एवं समाज : नाटाणी नारायण गौतम ज्योति रिसर्च पब्लिकेशन जयपुर, नई दिल्ली 2005
9. महिला जागृति और सशक्तिकरण : संजीव गुप्ता व सोनी वर्मा सवलिया बिहारी अविश्कार पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स जयपुर राजस्थान 2009
10. महिलाओं के प्रति अत्याचार एवं मानवाधिकार (2006)
— सुधा अवस्थी